

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 60/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी आंचल शर्मा
 सैकिण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी.
 बैंक के सामने, जयपुर

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. ARVIND KUMAR S/O SUWALAL

ADDRESS: PATTA NO. 07, VILLAGE- KANTHALI, G.P.- MOTHHUKA,
 TEHSIL- NEEM KA THANA, DISTT- SIKAR, RAJASTHAN-332718

ALSO AT: VILLAGE- KANTHALI, POST- DALPATPURA, TEHSIL- NEEM KA
 THANA, KANTHALI PATAN, NEAR SHIV MANDIR, DISTT- SIKAR,
 RAJASTHAN- 332718

ALSO AT: C/O FUSION KITCHEN, PLOT NO. 213, IMT GURGAON, SECTOR
 4, GURGAON- 122050, HARYANA

2. SUSHILA DEVI W/O SUWALAL

ADDRESS: PATTA NO. 07, VILLAGE- KANTHALI, G.P.-MOTHHUKA,
 TEHSIL-NEEM KA THANA, DISTT- SIKAR, RAJASTHAN-332718

ALSO AT: WARD NO. 05, NEAR SHIV MANDIR, DALPATPURA, KANTHALI,
 MOTHUKA, TRHSIL- NEEM KA THANA, MUNDIYAWAS, DISTT- SIKAR,
 RAJASTHAN- 332718

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)



**The application under section 14 of the securitisation and
 reconstruction of financial assets and enforcement of security
 interest Act. 2002.**


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 19 मई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **ARVIND KUMAR S/O SUWALAL** एवं **SUSHILA DEVI W/O SUWALAL** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुशीला देवी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **PATTA NO. 07, VILLAGE- KANTHALI, GRAM PANCHAYAT-MOTHHUKA, PANCHAYAT SAMITI- NEEM KA THANA, TEHSIL-NEEM KA THANA, DISTT- SIKAR, RAJASTHAN-332718** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 464 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में गली बाद टेकचन्द का मकान, पश्चिम दिशा चौक छोड़कर रतिराम के मकान, उत्तर दिशा में खाली जमीन व पहाड़ एवं दक्षिण दिशा में सुरेश का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 10,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये दस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **16.11.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.11.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की

२

(मुकुल शर्मा)
जिम्मा मजिस्ट्रेट, सीकर



प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **ARVIND KUMAR S/O SUWALAL** एवं **SUSHILA DEVI W/O SUWALAL** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुशीला देवी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **PATTA NO. 07, VILLAGE- KANTHALI, GRAM PANCHAYAT-MOTHUKA, PANCHAYAT SAMITI- NEEM KA THANA, TEHSIL-NEEM KA THANA, DISTT- SIKAR, RAJASTHAN-332718** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **464 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में गली के बाद टेकचन्द का मकान, पश्चिम दिशा चौक छोडकर रतिराम के मकान, उत्तर दिशा में खाली जमीन व पहाड एवं दक्षिण दिशा में सुरेश का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **19 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर